राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि / नरेगा / अनु.–3 / वेज / 68151 / 2014 जयपुर, दिनांक : 21 APR 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मेट की मजदूरी दर के संबन्ध में।**
संदर्भः– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 11.05.2016**

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.02.2017 के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर दिनांक 01.04.2017 से रू. 192 / – प्रति दिवस की गयी है।

उक्त दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अतिक्रमण में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित मेट की मजदूरी दर में संशोधन कर दिनांक 01.04.2017 से रू. 206 / – प्रति दिवस की जाती है। तद्नुसार दिनांक 01.04.2017 से योजनान्तर्गत नियोजित मेट को रू. 206 / – प्रति दिवस की मजदूरी दर से भुगतान किया जावे।

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई डी संख्या 101701720 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कैन)
परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. आयुक्त, ईजीएस।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त।
7. सलाहकार, आई.ई.सी., ईजीएस को समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी कराये जाने हेतु।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
10. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस